जेल में बंदी से यौनाचार के मामले में सीएस और डीजीपी को एनएचआरसी ने भेजा नोटिस

कार्रवाई

वरीय संवाददाता,रांची

होटवार देल में 20 वर्षीय विचाराधीन बंदी के साथ सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार व प्रताड़ना के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है. आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर आरोपों की जांच कराने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षतावाली पीठ ने शुक्रवार को शिकायत पर सुनवाई के बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया.

आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रतीत होते हैं. शिकायतकर्ता ने मामले की उच्चस्तरीय जांच, जेल का निरीक्षण और अन्य कैदियों के बयान दर्ज कराने की मांग की है. साथ ही आरोपित कैदियों और जेल कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा जेल प्रशासन की जवाबदेही तय करने का अनुरोध किया है. चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन, रांची के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने 13 नवंबर 2026 को आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायत के अनुसार जेल में बंद कुछ कैदियों ने विचाराधीन बंदी को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बार-बार सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोप है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान उसे जबरन महिलाओं के कपड़े पहनाये जाते थे. महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे पर्वों पर हिंदू देवी-देवताओं के वेश में सजाकर उसके साथ यौन हिंसा की जाती थी. इस दौरान उसे गंभीर रक्तस्राव और शारीरिक चोटें आयीं.

शिकायत फाड़ने व इलाज नहीं कराने का आरोप

शिकायत में जेल प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाये गये हैं. आरोप है कि पीड़ित ने जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और मेडिकल अधिकारी से इसकी शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने शिकायत फाड़ दी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया. उसका इलाज भी नहीं कराया गया. जेल से रिहाई के समय मेडिकल जांच नहीं कराये जाने का भी आरोप लगाया गया है. शिकायत के अनुसार संबंधित विचाराधीन बंदी को अदालत ने 12 जून 2026 को बरी कर दिया था. इस मामले में खेलगांव थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है.

दोहरा हत्याकांडः सुप्रीम कोर्ट ने 70 वर्षीय दोषी साइमन सोरेन की मेडिकल जांच का दिया निर्देश

रांची. सुप्रीम कोर्ट ने दुमका के दोहरे हत्याकांड के दोषी 70 वर्षीय साइमन सोरेन की स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सा दल गठित करने का निर्देश दिया है. जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने दुमका के सीएमओ को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. एसपी को जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. उनके अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नालसा की याचिका पर सभी राज्यों को अधिक उम्र या लाइलाज बीमारी से पीड़ित कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए तीन माह में व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने झारखंड सरकार को नीति तैयार करने का अवसर देने के लिए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया. मामले की अगली सुनवाई तीन मार्च 2027 को होगी.गौरतलब है कि नाजुक स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को साइमन सोरेन की सजा निलंबित कर जमानत दी थी. अदालत ने करीब 45 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई को न्यायिक प्रणाली की विफलता करार दिया था. वर्ष 1981 के इस दोहरे हत्याकांड में छह आरोपी बनाये गये थे.

बांग्लादेशी नागरिक के लापता होने पर जीरो एफआइआर का निर्देश

रांची. सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के एक लापता नागरिक के मामले में झारखंड सरकार को जीरो प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. लापता व्यक्ति पिछले वर्ष मार्च में मेडिकल वीजा पर भारत आया था. आखिरी बार देवघर में देखा गया था. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने लापता व्यक्ति की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है.

आठ सप्ताह में लें निर्णय

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ कुमार मौसम के हथियार लाइसेंस आवेदन पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. प्रार्थी ने रात में इमरजेंसी मरीजों को देखने निकलने के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस मांगा है.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, हरमू शाखाः
हरमू रोड, शिवाजी चौक, हरमू, रांची – 834002, झारखण्ड

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति/यों के लिए)

(परिशिष्ट IV के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित)

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वित्तीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 के 54) के अन्तर्गत एवं उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, जो कि **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी हैं, ने **ऋणी श्रीमती इंद्राणी रॉय, पत्नी ऋषिकेश चौधरी एवं श्री ऋषिकेश चौधरी, पुत्र दिपक कुमार चौधरी** को बकाया राशि **रु. 78,48,107.00 (रूपये अठहत्तर लाख अड़तालीस हजार एक सौ सात मात्र) दिनांक 13.09.2026 के अनुसार** तत्पश्चात् अनुबंधकीय आधार पर ब्याज एवं लागत, शुल्क और अन्य खर्चे सहित भुगतान की तिथि तक देय सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए डिमांड नोटिस **दिनांक 14.09.2026** को भेजी गयी थी।

ऋणकर्ता ने तदनुसार ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है। अत: एतद् द्वारा, विशेष कर ऋणी तथा सामान्य रूप से सभी लोगों को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों को उपर वर्णित अधिनियम की उप-धारा (4) की धारा 13 सपठित नियम 8 के प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने **दिनांक 19 नवम्बर 2026** को कब्जे में ले लिया है।

ऋणकर्ता / जमानतदारों / बंधककर्त्ता को विशेष रूप से तथा आम लोगों को सामान्य रूप से आगाह किया जाता है कि इन सम्पत्तियों का कोई सौदा न करें। उक्त सम्पत्तियों के संबंध में किसी प्रकार के लेन-देन करने पर बकाया राशि **रु. 78,48,107.00 (रूपये अठहत्तर लाख अड़तालीस हजार एक सौ सात मात्र)** एवं लागत, शुल्क और अन्य खर्चे सहित भुगतान की तिथि तक देय **बैंक ऑफ बड़ौदा** के देयत्ताओं के अधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो प्रतिभूत सम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

''स्वर्णरेखा गार्डन'' नामक निर्मित भवन में स्थित फ्लैट, जिसका साम्यिक बंधक के अंतर्गत है, का संपूर्ण भाग एवं हिस्सा, फ्लैट संख्या – 901, 8वीं मंजिल, ब्लॉक–ए, जिसका सुपर बिल्ट–अप क्षेत्रफल 1787 वर्गफीट है तथा जिसके साथ भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्सा 514.80 वर्गफीट अर्थात् 1.18 डिसिमल है। उक्त फ्लैट के साथ लोअर ग्राउंड फ्लोर पर कार पार्किंग की सुविधा भी सम्मिलित है जो ग्राम – लोवाडीह, थाना – नामकुम, थाना संख्या–213, जिला– राँची में स्थित है तथा खाता संख्या–92 के अंतर्गत आर.एस. प्लॉट संख्या – 459 के एक अंश की भूमि पर निर्मित है। उक्त फ्लैट श्रीमती इंद्राणी रॉय, पत्नी श्री ऋषिकेश चौधरी, पुत्री श्री संतोष रॉय एवं पौत्री श्री रवीन्द्र कुमार रॉय के नाम से है, जिसका सेल डीड संख्या – 5972/5302, दिनांक 27.07.2019 है। उक्त सेल डीड जिला अवर निबंधक, राँची के कार्यालय में दस्तावेज संख्या – 2019/RAN/5972/BK1/5302 के रूप में, पुस्तक संख्या – BK1, खंड संख्या 653, पृष्ठ संख्या – 375 से 474 में निबंधित है। **जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है: उत्तर दिशा में** – खुला आकाश, **दक्षिण दिशा में** – खुला आकाश, **पूरब दिशा में** – आम लॉबी एवं सीढ़ी, **पश्चिम दिशा में** – खुला आकाश.

दिनांक : 19.11.2026, स्थान : रांची **नोट : त्रुटी / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।** **ह0/– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
नियोजनालय तोरपा, (खूँटी)

भर्ती कैम्प–21.11.2026

राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को निजी क्षेत्रों में रोजगार के सुअवसर प्राप्त करने हेतु नियोजित करने के उद्देश्य से नियोजनालय तोरपा, खूँटी के द्वारा दिनांक:–**21 नवम्बर 2026, दिन शनिवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 4:00 बजे अपराह्न तक नियोजनालय तोरपा, (तोरपा प्रखण्ड परिसर), खूँटी में भर्ती कैम्प** आयोजित किया जा रहा है। उक्त भर्ती कैम्प में निम्नलिखित नियोजकों ने उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है:–

SN	Name and Address of the Employers	Name of the Post	No. Of Vacancies		Qualification	Experience	Salary	Age (Min-Max)	PF & ESIC (Yes/No)	Accommodation & Food Services (Yes/No)	Job Location
			Male	Female							
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii
01	LIC OF INDIA	Bima Sakhi	-	25	10th	-	7000/- + Commission	18-65	No	NO	Home Town
		LIC Advisor	25	25	10th	-	7000/- + Commission	18-100			
02	PANIIT ALUMNI REACH FOR JHARKHAND FOUNDATION	Tiles mason, Plumber, Electrical, Pipefitter (International Placement-Dubai)	50	50	10th Pass & Above	-	30000 to 40000 approx	18-32	No	Yes	Dubai
		Plumber, Construction	30	30	5th Pass & Above	-	20000 to 24000		Yes	Yes	India
		Electrical Vehicle Driving	25	25	10th Pass & Above	-	17000 to 22000		No	Yes	
		Forklift Operator	30	30	10th Pass & Above	-	21000/-		Yes	Yes	
		Assembly Line Operator & Industrial Sewing Machine Operator (Girls)	-	100	8th Pass & Above	-	15000 to 17000	18-28	Yes	Yes	
03	SIS INDIA LTD	S.G.	50	00	10th Pass/Fail	-	15500 to 28500	19-40	Yes	Yes	All India
		S.L.V.	50	00	10th Pass/Fail	-	15000 to 22000	18-40			
		C.I.T.	25	00	12th Pass	-	15000 to 22000	18-35			
		G.T.O	25	25	B.A Above	-	30000 to 35000	20-37			
		SUPERVISOR	12	13	12th Pass	-	21000 to 30000	19-40			

इच्छुक आवेदक (उम्मीदवार) जो पूर्व से निबंधित नहीं है वे अपने निकटतम नियोजनालय में अथवा jharniyojan.jharkhand.gov.in पर अपना निबंधन कराते हुए उपरोक्त भर्ती कैम्प में नियोजक/नियोजकों के प्रतिनिधि के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों की छाया प्रति तथा बायोडाटा दो प्रतियों में दो पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते है। जो उम्मीदवार पूर्व में निबंधित है उन्हे पुनः निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि रिक्तियाँ निजि क्षेत्र से संबंधित है, अतएव चयन की प्रक्रिया में नियोजनालय का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। विभाग एवं नियोजनालय मात्र सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहें है। भर्ती कैम्प में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नियोजन पदाधिकारी,
नियोजनालय, तोरपा, खूँटी

PR 394246 Labour Employment and Traning (26-27)_D

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ARMB राँची (पता: एस. एन. गांगुली रोड, राधेश्याम लेन, रांची, जिला – राँची, झारखंड – 834001 | फोन: 7300705205, ई–मेल: cs6794@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (पर्वतन) नियम 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठित तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना.

एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को एवं विशेष रूप से उधारकर्त्ताओं एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। संबंधित उधारकर्त्ताओं एवं जमानतदारों से बैंक / सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये सूची में उल्लिखित तिथि पर **''जहाँ है'', ''जैसा भी है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये सूची में उल्लिखित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / उधारकर्त्ता / जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक / स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण [बंधककर्त्ता की सम्पत्ति (यों)]	A) 13(2) सरफेसी अधिनियम के तहत मांग सूचना की तिथि B) मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि C) कब्जा की तिथि 13(4) सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक / भौतिक / रचनात्मक	A) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) B) इएमडी राशि C) बोली वृद्धि राशि D) Baanknet सम्पत्ति आईडी	ई–नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**शाखा कार्यालय: PNB सिंह मोड़, रांची** (216810) **मेसर्स लालजी ज्योति प्रा. लि.** **मेसर्स लालजी ज्योति प्रा. लि.** ज्योति कुंज, हजाम, नामकुम, थाना–नामकुम, रांची, राज्य–झारखण्ड, पिन–835221 **श्री लालजी प्रसाद** (अब दिवंगत), पुत्र श्री हरि प्रसाद एवं **श्रीमती ज्योति देवी** पत्नी श्री लालजी प्रसाद, फ्लैट संख्या 8–बी, आठवां तल्ला, रामसखी टावर, तुपुदाना रोड, हटिया – 834003	बहुमंजिला आवासीय भवन, जिसका नाम ''रामसखी टावर'' के आठवें तल पर स्थित फ्लैट संख्या 8बी, जिसका सुपर बिल्ट–अप क्षेत्रफल 1290 वर्गफीट है जिसका सभी अंश एवं भाग, जो खाता संख्या 63, प्लॉट संख्या 623, कुल क्षेत्रफल 75.97 डिसिमल भूमि पर निर्मित है तथा मौजा तुपुदाना, थाना राँची, वर्तमान थाना जगन्नाथपुर, थाना संख्या 267, वार्ड संख्या 55, जिला – राँची में स्थित है। उक्त फ्लैट के साथ 435.6 वर्गफीट भूमि में अविभाजित आनुपातीय हिस्सा तथा बेसमेंट में एक कार पार्किंग स्थल भी शामिल है। साथ ही, सामान्य रास्ता, लॉबी, सीढ़ी, लिफ्ट, जनरेटर, कंपाउंड परिसर एवं छत का सामूहिक उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार भी प्राप्त है। उक्त संपत्ति का सेल डीड संख्या 4258/5122 दिनांक 27.07.2015 के अंतर्गत श्री लालजी प्रसाद (अब दिवंगत), पिता श्री हरि प्रसाद एवं श्रीमती ज्योति देवी, पत्नी श्री लालजी प्रसाद के नाम से है। **उक्त सम्पत्ति का चौहद्दी निम्न प्रकार है: उत्तर** – सीढ़ी एवं कॉरिडोर, **दक्षिण** – खुला आकाश, **पूरब** – डक्ट एवं लिफ्ट, **पश्चिम** – खुला आकाश.	A) 03.02.2025 B) Rs. 70,49,367.81 + अतिरिक्त ब्याज C) 09.09.2025 D) भौतिक कब्जा	A) Rs. 42,78,500.00 B) Rs. 4,27,850.00 C) Rs. 1,00,000.00	03.12.2026 from 11:00 AM to 04:00 PM
2.	**शाखा कार्यालय: PNB मोराबादी** (038820) **श्रीमती गणिता झा** पत्नी थानेश्वर झा **एवं थानेश्वर झा** पुत्र सुशील कुमार झा **श्रीमती गणिता झा** पत्नी थानेश्वर झा **एवं थानेश्वर झा** पुत्र सुशील कुमार झा निवासी – ज्योति इन्क्लेव, फ्लैट संख्या ए4, सुखदेवनगर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, सुखदेव नगर, पो.–हेहल, रांची – 834005	राँची नगर निगम, राँची के वार्ड संख्या 02 के अंतर्गत नगरपालिका होल्डिंग संख्या 00200061500001 से संबंधित, मौजा – भेठा, एदलहातु, थाना संख्या 187, थाना – बरियातू, जिला – राँची में स्थित भूमि का सभी अंश एवं भाग जिसका आर. एस. प्लॉट संख्या 662, खाता संख्या 57 के अंतर्गत है जिसका कुल क्षेत्रफल 5 कट्ठा 08 छटाक है, के एक भाग पर निर्मित ''कमला एन्क्लेव'' नामक आवासीय परिसर के प्रथम तल पर स्थित फ्लैट संख्या 102, जिसका क्षेत्रफल 1258 वर्गफीट है। उक्त फ्लैट के साथ कुल भूमि में 1.44 डिसिमल का आनुपातिक, अविभाजित एवं अविभाज्य हिस्सा तथा भूतल पर स्थित कार पार्किंग संख्या 102 भी सम्मिलित है। उक्त फ्लैट तीन शयनकक्षों वाला आवासीय फ्लैट है जिसका सेल डीड संख्या 888/950 दिनांक 10.05.2019 है जो श्रीमती गणिता झा, पत्नी श्री थानेश्वर झा एवं श्री थानेश्वर झा, पिता श्री सुशील कुमार झा के नाम से है। **उक्त सम्पत्ति का चौहद्दी निम्न प्रकार है: उत्तर** – सीढ़ी, लॉबी एवं फ्लैट संख्या 101, **दक्षिण** – साइड सेट बैक, **पूरब** – पीछे का सेट बैक, **पश्चिम** – आगे का सेट बैक.	A) 20.08.2022 B) Rs. 40,47,637.56 + अतिरिक्त ब्याज C) 02.05.2026 D) भौतिक कब्जा	A) Rs. 33,82,020.00 B) Rs. 3,38,202.00 C) Rs. 50,000.00 D) PUNB6794032023	03.12.2026 from 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण – बैंक को ज्ञात नहीं

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें:

बिक्री सुरक्षित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

01. सम्पत्तियों को **''जहाँ है'', ''जैसा भी है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्देशित सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवादेही नहीं होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा **दिनांक 03.12.2026 को सुबह 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में **(https://baanknet.com)** पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 02.12.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in** पर देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांक: 18.11.2026, स्थान: रांची **नोट: त्रुटि / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।** **ह0/– प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता**

झारखण्ड ग्रामीण बैंक JHARKHAND GRAMIN BANK
Scheduled Bank Owned by Government

क्षेत्रीय कार्यालय, राँची
प्रथम तल, आर एस स्क्वायर, तिरुपति पेट्रोल पम्प के पास, NH - 33, बूटी मोड़, राँची - 835217

संदर्भ सं. JGB/RO-I/Accts/257/2026-27 **तिथि :** 20.11.2026

शुद्धिपत्र

कृपया हमारी निविदा आमंत्रण सूचना (RFP Tender) **दिनांक 27.10.2026** का संदर्भ ग्रहण करें, जो बैंक की वेबसाइट **www.jrgbank.bank.in** पर प्रदर्शित की गई थी तथा दिनांक **28.10.2026** को प्रभात खबर एवं मॉर्निंग इंडिया समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। उक्त सूचना छह (06) नई शाखाओं– **हेथू, दलादली, कमड़े, चांदवे, चान्हो एवं मांडर** के लिए परिसर उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में थी। यह निर्णय लिया गया है कि निविदा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि तथा तकनीकी बोली/वित्तीय बोली को खोलने एवं सत्यापन करने की तिथियों में निम्नलिखितानुसार संशोधन किया जाए:

संशोधित कार्यक्रम:	पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय	संशोधित तिथि एवं समय
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	20.11.2026, अपराह्न 4:00 बजे।	27.11.2026, अपराह्न 4:00 बजे।
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	21.11.2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे।	01.12.2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे।
वित्तीय बोली खोलने की तिथि	बाद में सूचित की जाएगी।	बाद में सूचित की जाएगी।

ह0 /-
क्षेत्रीय प्रबंधक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067

F.No: A-12043/6/2026-Admin I

रिक्ति अधिसूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। एनआईएचएफडब्ल्यू देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन, परामर्श, सलाह और विशेष सेवाओं के माध्यम से बढ़ावा देने वाला एक शीर्ष तकनीकी संस्थान है।

एनआईएचएफडब्ल्यू में सीधी भर्ती के आधार पर नियमित पदों को भरने के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्रम सं.	पद का नाम	पे मैट्रिक्स लेवल	पदों की संख्या
1.	प्रोफेसर (सामाजिक विज्ञान)	शैक्षणिक वेतन स्तर-14	01
2.	रीडर (ऑपरेशन रिसर्च)	शैक्षणिक वेतन स्तर-12	01
3.	सहायक प्रोफेसर (शिक्षा एवं प्रशिक्षण) [गैर-चिकित्सा]	शैक्षणिक वेतन स्तर-10	01
4.	सहायक प्रोफेसर (आरबीएम-क्लिनिक) [चिकित्सा]	शैक्षणिक वेतन स्तर-10	01

अधिक जानकारी और इस विज्ञापन के हिंदी संस्करण के लिए, कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट www.nihfw.ac.in पर देखें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इम्प्लॉयमेंट न्यूज में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से चार (04) सप्ताह है।

CBC 17153/11/0008/2627 निदेशक, एनआईएचएफडब्ल्यू

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067

F.No.: A-12037/3/2025-Admin I

रिक्ति सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एक स्वायत्त संस्थान है। एनआईएचएफडब्ल्यू देश में शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन, परामर्श, सलाह और विशेष सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाला एक शीर्ष तकनीकी संस्थान है।

निदेशक, एनआईएचएफडब्ल्यू के द्वारा भारत के नागरिकों से एनआईएचएफडब्ल्यू में निम्नलिखित प्रतिनियुक्ति पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्र. सं.	पद का नाम	पे मैट्रिक्स लेवल	पदों की संख्या	श्रेणी	भर्ती की विधि	आवेदन का तरीका
1.	लेखा अधिकारी	पे मैट्रिक्स लेवल – 07	02	अनारक्षित	प्रतिनियुक्ति	अनुलग्नक–I
2.	लेखापाल	पे मैट्रिक्स लेवल – 06	05	अनारक्षित	प्रतिनियुक्ति	अनुलग्नक–I
3.	प्रोग्रामर	पे मैट्रिक्स लेवल – 07	02	अनारक्षित	प्रतिनियुक्ति / ऐसा न होने पर सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति के लिए: अनुलग्नक–I सीधी भर्ती के लिए: अनुलग्नक–II

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि इम्प्लॉयमेंट न्यूज में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिन है।

विवरण संस्थान की वेबसाइट www.nihfw.ac.in पर उपलब्ध है।

निदेशक, एनआईएचएफडब्ल्यू

CBC 17153/11/0006/2627

झारखण्ड सरकार, जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद्, गढ़वा

अल्पकालीन ई–निविदा सं0–ZP/GARHWA/05/2026-27 Re (2nd Call)

15वें वित्त

1. कार्य का नाम :– (राशि रूपये में)

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र की राशि	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि	आईडेन्टीफिकेशन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रमना	गम्हरिया	ग्राम–गम्हरिया में ढोढरिया पुल से पप्पु मेहता के घर तक PCC पथ निर्माण।	2489200.00	5000.00	49800.00	3 माह	ZP/GARHWA/05/2026-27

1. वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :– 21.11.2026
2. ई–निविदा प्राप्ति की तिथि :– 21.11.2026 से दिनांक–28.11.2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– 30.11.2026 को अपराह्न 3:00 बजे
4. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :– जिला अभियंता, जिला परिषद, गढ़वा।
5. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष संख्या :– मो0 नं0–8789191801
6. ई–निविदा खोलने का स्थान :– कार्यालय जिला अभियंता, जिला परिषद, गढ़वा।
7. परिमाण विपत्र की राशि घट बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।
8. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल Online Mode द्वारा स्वीकार्य होगी।
9. जिला परिषद् गढ़वा में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
10. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई0 भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में अग्रधन की राशि वापस होगी। अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

विस्तृत जानकारी के लिए Website :- www.Jharkhandtenders.gov.पद पर देखा जा सकता है।

PR.NO.394268 Rural Development(26-27):D

जिला अभियंता, जिला परिषद्, गढ़वा।

